7. **<u>आवेदन में पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता</u>** – विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के लिए निम्न अनुसार विकल्प एवं प्राथमिकता रहेगी :

(i) सभी अभ्यर्थी 'मद्य निषेध सिपाही', 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' एवं 'चलंत दस्ता सिपाही' के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते हैं।

(ii) कक्षपाल (गृह रक्षक कोटा) के लिए मात्र बिहार के निवासी गृह रक्षक (बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित एवं प्रशिक्षित) अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(iii) कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक कोटा) के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(iv) लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है।

(v) गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)', 'मद्य निषेध सिपाही' एवं 'चलंत दस्ता' सिपाही के लिए भी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसी स्थिति में उन्हें अन्य सभी अभ्यर्थियों के समान लिखित परीक्षा में सफल होने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। इनके लिए माप–दण्डों में कोई शिथिलता नहीं होगी।

(vi) वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' के लिए प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं, उनका विचारण मात्र 'कक्षपाल (गृह रक्षक कोटा)' के पदों के विरूद्ध ही किया जाएगा।

(vii) वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' के लिए प्राथमिकता देने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल हो जाते हैं, उनका विचारण पहले 'कक्षपाल (गृह रक्षक कोटा)' में मेधा सूची गठन में किया जाएगा। यदि वे इस प्रकार गठित अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं करते हैं तब उन पर विचारण 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' में यथा मेधानुसार किया जाएगा।

(viii) वैसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' के लिए प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं, उनका विचारण मात्र 'कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक कोटा)' के पदों के विरूद्ध ही किया जाएगा।

(ix) वैसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' के लिए प्राथमिकता देने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल हो जाते हैं, उनका विचारण पहले 'कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक कोटा)' में मेधा सूची गठन में किया जाएगा। यदि वे इस प्रकार गठित अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं करते हैं तब उन पर विचारण 'कक्षपाल (सीधी भर्ती)' में यथा मेधानुसार किया जाएगा।

8. **<u>चयन के लिए परीक्षा संरचना</u>** – मद्य निषेद्य सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही की रिक्तियों के लिए चयन/ भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे :

(क) <u>प्रथम चरण – 'लिखित परीक्षा'</u> – (i) आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु–सत्रीय/ बहु–प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि–पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल,

नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत **पाठ्यक्रम** पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

(iii) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगी। ओ0एम0आर शीट/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(iv) **लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे।**

(v) **कक्षपाल** (भूतपूर्व सैनिक कोटा) एवं **कक्षपाल** (गृह रक्षक कोटा) के विज्ञापित पदों के लिए मेधा का आधार लिखित परीक्षा होगी परन्तु, उन्हें शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत रिक्तियों के अनुसार कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को प्रेषित की जाएगी। इन कोटि के वे अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षपाल (सीधी भर्ती) का विकल्प भी दिया है, वे कृपया कण्डिका 7 देखें।

(vi) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vii) **लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।**

(ख) <u>द्वितीय चरण - शारीरिक दक्षता परीक्षा</u> (PET) -

(i) लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

(ii) कक्षपाल (गृह रक्षक कोटा) एवं कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक कोटा) के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

(iii) शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/ मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(v) मद्य निषेध सिपाही/ कक्षपाल (सीधी भर्ती)/ चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग-अलग सफल होना आवश्यक होगा।

(vi) **शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।** ऊंचाई एवं सीना/ वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा परन्तु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(vii) **शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी :**

(I) **दौड़ - अधिकतम 50 (पचास) अंक।**

<u>सभी कोटि के पुरूषों के लिए</u> - 1 (एक) मील (1.6 कि0मी0) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	-	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक – 30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक – 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – 1 (एक) कि0मी0 [अधिकतम 5 मिनट में]

4 मिनट से कम	–	50 अंक
4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक	–	40 अंक
4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक	–	30 अंक
4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक	–	20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(II) **गोला फेंक – अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।**

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक	–	09	अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	–	13	अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	–	17	अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	–	21	अंक
20 फीट से ज्यादा	–	25	अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना होगा।

12 फीट से 13 फीट तक	–	09	अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	–	13	अंक
14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक	–	17	अंक
15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक	–	21	अंक
16 फीट से ज्यादा	–	25	अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(III) **ऊँची कूद – अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।**

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट	–	13 अंक
04 फीट 4 ईन्च	–	17 अंक
04 फीट 8 ईन्च	–	21 अंक
05 फीट	–	25 अंक

04 फीट न कूद सकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट	–	13 अंक
03 फीट 4 ईन्च	–	17 अंक
03 फीट 8 ईन्च	–	21 अंक
04 फीट	–	25 अंक

03 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(IV) नियत समय (पुरूषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/ अथवा ऊँची कूद स्पर्धा/ स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग–अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(ग) <u>**तृतीय चरण – दस्तावेज सत्यापन**</u> :

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा।

(ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण–पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 6 का अध्ययन भली भांति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन करते समय **शैक्षणिक अर्हता, चालक अनुज्ञप्ति (जहाँ लागू हो)** एवं **आरक्षण** से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि/ कट–ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।

(iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगेः

i. वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान–पत्र, आदि।
ii. दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का वैध चालक अनुज्ञप्ति मूल में (चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु)।
iii. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण–पत्र की मूल प्रति)।
iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र।
v. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
vi. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए –
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र; एवं
   - स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।
vii. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए–
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र; एवं
   - स्थायी आवास प्रमाण–पत्र; एवं
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
   - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के

अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म – xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

viii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए –

- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण–पत्र (**स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नही होगा**); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

ix. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार द्वारा **वित्तीय वर्ष 2024–2025** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत प्रमाण–पत्र; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

x. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत ट्रांसजेन्डर होने सम्बन्धी पहचान प्रमाण–पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19.06.2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रपत्र–3 अथवा प्रपत्र–4 में निर्गत पहचान प्रमाण–पत्र); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र ।

xi. भूतपूर्व सैनिक (कक्षपाल पद) अभ्यर्थियों के लिए –

- भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी वैध पहचान पत्र; एवं
- डिस्चार्ज बुक; एवं
- पी0पी0ओ0 की मूल प्रति।

xii. गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए –

- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, आनंदपुर, बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र; एवं
- होम गार्ड का वैध आई कार्ड; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र ।

xiii. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

9. <u>मेधा सूची</u>–

i) कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक कोटा) एवं कक्षपाल (गृह रक्षक कोटा) के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची का आधार लिखित परीक्षा होगी।

ii) **मद्य निषेध सिपाही/ कक्षपाल (सीधी भर्ती)/ चलंत दस्ता सिपाही** के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिये अर्हक (Qualifying) होगी।

iii) मद्य निषेध सिपाही/ कक्षपाल (सीधी भर्ती)/ चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की **मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा – दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।**